

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2006/फाल्गुन 10, 1927

No. 73]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2006/PHALGUNA 10, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 124(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 754(अ) शुद्धिपत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 में, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) (संशोधन)] नियमावली, 2005 और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) (दूसरा संशोधन)] नियमावली, 2005 में दिन, माह और वर्ष "1 मार्च, 2006", के स्थान पर "1 अप्रैल, 2006" प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. पी.-16012/1/2005-पीएच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th February, 2006

G.S.R. 124(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 754(E), Corrigendum dated 30th December, 2005, to the Cigarettes and Other Tobacco Products [(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Amendment)] Rules, 2005 and the Cigarettes and Other Tobacco Products [(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Second Amendment)] Rules, 2005, published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary for the day, month and year "1st day of March, 2006", the day, month and year "1st day of April, 2006" may be substituted.

[F. No. P-16012/1/2005-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt Secy.